

डिकी मुकदमा इबादाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाबा दीवानी)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम - हिण्डौन जिला करौली

अधिकारी :-
मुकदमा नम्बर 170/2011 तारीख रजू 14.10.2011
हेमराज गुर्जर, R.A.S.
जीसीएमएस नं0. 2023/473

उनवान

जैन फाउन्डेशन मुख्यालय 7 ए राजपुर रोड देहली, शाखा कार्यालय श्रीमहावीरजी
हिण्डौन सिटी जिला करौली जरिये अध्यक्ष श्री राजकुमार जैन पुत्र श्री रमेश चन्द
जैन निवासी डब्ल्यू 19/9 वेस्टर्न अवेन्यू सैनिक फार्म, नई दिल्ली जरिये पावर
एटोर्नी होल्डर गोपाल लाल सिंघल पुत्र श्री किशोरी लाल सिंघल निवासी नई मण्डी
सिटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

बनाम

कृष्णा बाई आश्रम श्रीमहावीरजी जरिये व्यवस्थापिका ब्रह्मचारिणी लच्छोदेवी जैन
निवासी कृष्णा बाई जैन आश्रम श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन हाल तहसील
श्रीमहावीरजी जिला करौली
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डौन जिला करौली

दावा बावत् घोषणा खातेदारी

मुकदमा नं0 170/2011
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रुबरू हमारे हाजिरी श्री नरेन्द्र सिंह
एडवोकेट मिन कानिव मुदई रुबरू श्री सीताराम गुर्जर, एडवोकेटमिन जानिब मुदायलह
होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2328
0.94 है0 ग्राम अकबरपुर में से 1715 वर्ग मीटर (0.1715 है0) भूमि उत्तर-पूर्वी तरफ एवं
2328/2774 रकवा 0.35 है0 वाकै ग्राम नौरंगाबाद में से 878 वर्ग मीटर (0.0878 है0)
उत्तर-पूर्वी की तरफ का वादी पी.एस जैन फाउन्डेशन मुख्यालय 7 ए राजपुर रोड
शाखा कार्यालय श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली जरिये अध्यक्ष श्री
राजकुमार जैन पुत्र श्री रमेश चन्द जैन जाति जैन निवासी डब्ल्यू 19/9 वेस्टर्न अवेन्यू
सैनिक फार्म, नई दिल्ली जरिये पावर ऑफ एटोर्नी होल्डर गोपाल लाल सिंघल पुत्र श्री
किशोरी लाल सिंघल निवासी नई मण्डी हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
आराजी ख.नं. 2328 रकवा 0.94 है0 ग्राम अकबरपुर तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली
में 1715 वर्ग मीटर (0.1715 है0) भूमि उत्तर-पूर्वी तरफ एवं ख.नं. 2328/2774 रकवा 0.35
वाकै ग्राम नौरंगाबाद में से 878 वर्ग मीटर (0.0878 है0) भूमि उत्तर-पूर्वी की तरफ का
विवादित काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व के इन्द्राज हजब करने के आदेश दिये
गये हैं तथा शेष आराजीयात के बाबत इन्द्राजात मुताबिक राजस्व रिकार्ड बदस्तुर रहेंगे। इस
आदेश तहसीलदार श्रीमहावीरजी को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड
राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व डिकी की प्रति तहसीलदार श्रीमहावीरजी को
भेजी जावे।

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.08.2024 को यह डिकी
की गई।
हिमराज गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

